



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

(Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.4)परावि/आप्र/डीपीसी/15/368

जयपुर, दिनांक: 6-4-2015

::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला जैसलमेर के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1.	श्रीमती अंजना मेघवाल	अध्यक्ष	-
2.	श्री प्रेम डूंगरसिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्री कुन्दनलाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्री पीराणे खॉ	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्री जसवन्त सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्रीमती शौभा कंवर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्री उम्मेद सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्रीमती चेतना कंवर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्रीमती ममता कुमारी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्रीमती संगीता	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
11.	श्रीमती प्रेम धणदौ	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्री अशोक कुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
13.	श्री दीपाराम	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
14.	श्रीमती रहमत खातुन	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
15.	श्रीमती पूनम कंवर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
16.	श्री रवीन्द्र कुमार	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (ग्रामीण क्षेत्र)
17.	श्रीमती देवकी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)
18.	श्री हरि सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित (शहरी क्षेत्र)

जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य

कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य है। दो सदस्यो (माननीय लोक सभा/ विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संथा के सदस्यो) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायो के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते है। शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के शेष सदस्यो के निर्वाचन के उपरान्त संशोधित आदेश जारी किये जावेगे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1.विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
- 4.निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
- 5.जिला कलेक्टर, जिला जैसलमेर।
- 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर।
- 7.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर।
- 8.मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला जैसलमेर को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यो को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना